तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कैलाश कंवर बनाम गंगादेवी

18-11-25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किये कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–03–2022 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज किया गया था। अपीलाधीन आदेश की कानूनन अपील नही की जा सकती है। उक्त आदेश अपील योग्य आदेश न होकर निगरानी योग्य आदेश है। अतः अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1993 पेज 572, आरआरडब्ल्यु 2013 पार्ट द्वितीय पेज 1244, डीएलटी 2011 पेज 524 प्रस्तुत किये।

प्रार्थी के साथ अन्य अभिभाषक सुशील कुमार ने फॉर्म नम्बर 3 के साथ उपखण्ड अधिकारी, नोखा का निर्णय दिनांक 25–09–2003, राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर का निर्णय दिनांक 09–10–2006 तथा माननीच राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 04–08–2011 प्रस्तुत कर कथन किये कि अपीलाधीन आदेश से जिस वाद को अबेट किया है यह वाद तो पहले ही माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अबेट घोषित किया जा चुका है और यह निर्णय अंतिम भी हो चुका है। सुरेन्द्र सिंह को पुनः दावा लाने का कोई अधिकार ही नही था। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलांट ने जवाब बहस में कथन किये कि अपीलाधीन आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर पूरा दावा ही खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश गलत रूप से पारित किया है। अपीलाधीन आदेश विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। फॉर्म नम्बर 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। इन दस्तावेजो के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में पूर्व में जेठी देवी पत्नी चन्द्रसिंह द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा का दावा (मुकदमा संख्या 159/2002) अधीनस्थ न्यायालय में किया गया था। जेठी देवी के फौत होने पर वर्तमान अपीलांट सुरेन्द्र सिंह द्वारा जेठी देवी के तथाकथित वसीयत के आधार पर उसके उतराधिकारी होने का कथन कर उस प्रकरण में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25–09–2003 द्वारा दावा अबेट हो जाने के कारण इस आधार पर खारिज कर दिया कि जेठी देवी फौत हो चुकी है तथा जब अपीलाधीन भूमि में जेठी देवी को ही कोई अधिकार प्राप्त नही है तो जेठी देवी द्वारा इस भूमि की वसीयत नही की जा सकती है और ना ही सुरेन्द्र सिंह को कोई अधिकार प्राप्त होते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25–09–2003 द्वारा वाद अबेट किये जाने के विरूद्ध अपीलांट सुरेन्द्र सिंह द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर में अपील दायर की गई। जिसमें निर्णय दिनांक 09–10–2006 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट सुरेन्द्र सिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील दायर की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04–08–2011 में यह अभिलिखित किया है कि – *"पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्व. जेठी देवी विवादग्रस्त आराजी की खातेदार नही है। इसलिए उसे विवादित आराजी की वसीयत करने का अधिकार प्राप्त नही है।"*

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

यह अभिलिखित करते हुए माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपीलांट सुरेन्द्र सिंह की द्वितीय अपील खारिज की गई।

अपीलांट सुरेन्द्र सिंह द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 04–08–2011 के विरूद्ध कही अपील पेश की हो यह पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इसके पश्चात् अपीलांट सुरेन्द्र सिंह द्वारा पुनः अधीनस्थ न्यायालय में इसी भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा का दावा दिनांक 19–03–2013 में प्रस्तुत किया गया। सुरेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 01–10–2017 को हो गई। सुरेन्द्र सिंह की पत्नी कैलाश कंवर द्वारा दिनांक 05–07–2018 को प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और वाद जरिये अबेटमेंट खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक प्रार्थी की प्रारंभिक आपत्ति यह है कि अपीलाधीन आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत पारित किया गया है। जिसकी अपील नही की जा सकती है।

इस संबंध में सीपीसी के आदेश 43 (APPEALS FROM ORDERS) का अवलोकन किया गया। इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के अन्तर्गत किये गये निर्णय की अपील का कोई प्रावधान नही है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डीएलटी 2011 पेज 524 में यह अवधारित किया गया है कि – Civil Procedure Code, 1908 (CPC) - Order 43 Rule 1(k) - Appealability of Orders - Only an order refusing to set aside the abatement under Order 22 Rule 9(2) CPC is specifically appealable as an order under Order 43 Rule 1(k). An order merely stating that the suit stands abated due to the non-impeachment of the legal representative, not being a refusal to set aside abatement, **is not appealable** under this provision. (Paras 16, 18)-
Jurisdiction - Appellate Court - Exceeding Jurisdiction - Where no statutory provision allows for an appeal against a particular order, an appellate court lacks jurisdiction to entertain such an appeal and issue a remand. (Paras 7, 11, 23)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांटा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलांटा द्वारा आदेश 22 नियम 9 के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया था। इस सूरत में अपीलाधीन आदेश आदेश 22 नियम 3 के तहत पारित किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्णत चस्पा होते है जिसके अनुसार जहाँ कोई वैधानिक प्रावधान किसी विशेष आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति नहीं देता, वहाँ अपीलीय न्यायालय के पास ऐसी अपील पर विचार करने और रिमांड जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं होता। आदेश 22 नियम 3 के निर्णय के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नही है। इस स्थिति में अपील अपीलांट पोषणीय नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के समग्र परिशीलन से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 04–08–2011

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा जब अपीलांट का दावा अबेट किया जा चुका था तो पुनः उसी आराजी पर पुनः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर लाया गया नया वाद ही चलने लायक नही है। इस सूरत में यह अपील गुणावगुण के आधार पर भी पोषणीय नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर